झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-15/02/2018

संख्या-5/आरोप-1-147/2017-148 (HRMS)/ श्री अरूण उराँव, झा0प्र0से0, चतुर्थ बैच, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-19.09.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं0-10456, दिनांक 09.10.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 19.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	ARUN ORAON (110043181678)	suspension of sri Arun Oraon	01/12/2017

2. श्री उराँव द्वारा दिनांक 30.11.2017 को हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक-01.12.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया है।

3. अतएव झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत् श्री उराँव द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि 01.12.2017 से योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(3)(ii) के आलोक में 9(1)(क) के तहत् योगदान की तिथि 01.12.2017 से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

ज्ञापांक-5/आरोप-1-147/2017-148 (HRMS)/राँची — दिनांक-15/02/2018

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग /उपायुक्त, बोकारो/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची /विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/श्री अरूण उराँव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारा, सम्प्रति-निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-147/2017-148 (HRMS)/राँची

दिनांक-15/02/2018

प्रतिलिपि- श्री ओम प्रकाश साह, विभागीय उप सचिव, प्रभारी-मुख्यालय स्थापना/श्री अजय कुमार झा, विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि निलंबन अवधि में श्री उराँव को जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- AMIT KUMAR SINGH - (110063543278)